
पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त

पहला अध्याय

राज्य सरकार के वित्त

मध्य प्रदेश की रूपरेखा

मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो 308 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह देश के मध्य भाग में स्थित है तथा भू-भाग से घिरा कृषि प्रधान राज्य है। यह देश के खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की संस्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के अंतर्गत पूर्व के मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों¹ से मिलाकर 1 नवंबर 2000 को नये राज्य छत्तीसगढ़ का गठन किया गया।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में निर्दिष्ट किया गया है, विगत दस वर्षों में मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व में 196 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय औसत की तुलना में निर्धनता का स्तर उच्चतर है। राज्य में पिछले दशक में निम्नतर आर्थिक विकास दृष्टिगत हुआ क्योंकि सामान्य श्रेणी राज्यों में 14.46 प्रतिशत तक की तुलना में इसकी 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर 13.77 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान, अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों में 13.90 प्रतिशत के विरुद्ध इसकी जनसंख्या में 16.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। *जिनी कोएफिशन्ट* से प्रकट होता है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में आय वितरण की असमानता अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम थी परन्तु नगरीय क्षेत्रों के मामलों में अधिक थी। चालू दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय निम्नतर रही है।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय मध्य प्रदेश सरकार के 2011-12 के दौरान वित्त का लेखापरीक्षित परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य राजकोषीय समूहों का विगत वर्ष की तुलना में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण मध्य प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा उनमें उपलब्ध करायी गयी जानकारी पर आधारित है। सरकारी लेखाओं की संरचना और प्रारूप तथा वित्त लेखे का विन्यास **परिशिष्ट 1.2 भाग-क** में चित्रित किया गया है। राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए अपनाई गई पद्धति और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित मानदण्डों/उच्चतम सीमाओं तथा चयनित संकेतकों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.3 भाग-क, ख एवं ग** में चित्रित किया गया है।

¹ बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चांया, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगाँव एवं सरगुजा।

संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के दिनांक से पूर्व अन्य वित्तीय समायोजनों के साथ-साथ, राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अभिभाजन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 की संख्या 28) के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इस दिशा में प्राप्त की गयी वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट 1.2 भाग-ख** में दर्शाई गई है।

1.2 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करता है जबकि **परिशिष्ट 1.5 भाग-क** वर्तमान वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का सार प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: वर्तमान वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

2010-11	प्राप्तियां	2011-12	2010-11	संवितरण	2011-12		
अनुभाग-क राजस्व							
					योजनेत्तर	योजनागत	योग
51,854.18	राजस्व प्राप्तियां	62,604.07	45,011.59	राजस्व व्यय	36,677.16	16,016.55	52,693.71
21,419.34	कर राजस्व	26,973.44	14,646.68	सामान्य सेवाएं	16,091.11	137.53	16,228.64
5,719.77	करेतर राजस्व	7,482.73	17,345.40	सामाजिक सेवाएं	10,460.00	9,836.94	20,296.94
15,638.51	संघ करों/शुल्कों का भाग	18,219.13	10,084.48	आर्थिक सेवाएं	7,499.98	5,464.93	12,964.91
9,076.56	केन्द्र सरकार से अनुदान	9,928.77	2,935.03	सहायतानुदान तथा अंशदान	2,626.07	577.15	3,203.22
अनुभाग-ख: पूंजीगत							
366.54	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	22.65	8,799.88	पूंजीगत परिव्यय	32.29	9,022.87	9,055.16
33.65	कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियां	9,122.56	3,714.73	कर्ज तथा अग्रिम संवितरित	14,681.31	1,079.25	15,760.56
1.64	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	2.65	1.85	अन्तर्राज्यीय परिशोधन			3.70
7,457.94	लोक ऋण प्राप्तियां	6,750.25	2,529.23	लोक ऋण का पुनर्मुग्तान			3,149.79
—	आकस्मिकता व्यय निधि	100.00	—	आकस्मिकता व्यय निधि			100.00
65,675.10	लोक लेखा प्राप्तियां	76,315.22	62,344.26	लोक लेखा संवितरण			73,279.04
3,912.93	प्रारम्भिक रोकड़ शेष	6,900.44	6,900.44	अन्तिम रोकड़ शेष			7,775.88
1,29,301.98	योग	1,61,817.84	1,29,301.98	योग			1,61,817.84

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान राजकोषीय लेन-देनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

- विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 10,750 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि, राज्य के स्वयं के कर राजस्व (₹ 5,554 करोड़; 26 प्रतिशत), करेतर राजस्व (₹ 1,763 करोड़; 31 प्रतिशत), केन्द्र सरकार से अनुदान (₹ 852 करोड़; 9.4 प्रतिशत) तथा संघ के करों/शुल्कों के भाग (₹ 2,581 करोड़; 16.5 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य में 2010-11 में ₹ 6,842 करोड़ से 2011-12 में ₹ 9,910 करोड़ तक की वृद्धि हुई।
- राजस्व व्यय में ₹ 7,682 करोड़ (17 प्रतिशत) (योजनेत्तर: 14 प्रतिशत तथा योजनागत: 24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं के क्षेत्र (₹ 1,582 करोड़; 11 प्रतिशत), सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र (₹ 2,952 करोड़; 17 प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र (₹ 2,880 करोड़; 29 प्रतिशत) में थी।

- पूंजीगत परिव्यय में ₹ 255 करोड़ (तीन प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र (₹ 67 करोड़; चार प्रतिशत) तथा आर्थिक सेवाओं के क्षेत्र (₹ 199 करोड़; तीन प्रतिशत) के अंतर्गत थी। यह सामान्य सेवाओं के क्षेत्र (₹ 11 करोड़; छः प्रतिशत) में कमी के द्वारा प्रतिसंतुलित थी।
- लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 708 करोड़ (नौ प्रतिशत) की कमी राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार दर्शाता है। लोक ऋण प्राप्तियों में कमी, उधारियों में कमी (आंतरिक ऋण: ₹ 646 करोड़ एवं केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिम: ₹ 62 करोड़) के कारण थी। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में ₹ 621 करोड़ (25 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।
- लोक लेखा प्राप्तियों एवं संवितरणों में क्रमशः ₹ 10,640 करोड़ (16 प्रतिशत) एवं ₹ 10,935 करोड़ (18 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।
- उपरि उल्लिखित निधियों के अन्तर्वाह/बहिर्वाह के परिणामस्वरूप राज्य के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के अंत तक ₹ 875 करोड़ (13 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।

1.3 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्युत्तर में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया जो कि 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ, जिसका उद्देश्य राजस्व घाटे के प्रगामी निरसन के द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन एवं राजकोषीय स्थायित्व में विवेक की दृष्टि से, राजकोषीय घाटे सहित धारणीय ऋण प्रबन्धन एकरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में वृहत्तर पारदर्शिता तथा मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित करना था। तेरहवें वित्त आयोग का गठन 13 नवंबर 2007 को अनुशंसाएं करने के लिए किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्य के संसाधनों को बढ़ाने एवं राज्य ऋण समेकन एवं राहत सुविधा के प्रचालन की समीक्षा करने एवं साम्ययुक्त संवृद्धि सहित स्थिर एवं धारणीय राजकोषीय वातावरण संधारित करने के लिए उपाय सुझाने की आवश्यकता थी। तेरहवें वित्त आयोग ने दिसंबर 2009 में रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया।

राज्य के राजकोषीय निष्पादन की तुलना में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन लक्ष्यों एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण जो 2011-12 के वर्ष के लिए निर्मित किए गए थे, नीचे तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है:-

तालिका 1.2 : राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम एवं मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अधीन राजकोषीय पूर्वानुमान

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन लक्ष्य	मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक उपलब्धि
राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	2008-09 में समाप्त हो जाने वाला	(+) 3,867	(+) 9,910
राजकोषीय घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2012 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, तक कम करना	(-) 7,982 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत)	(-) 5,760 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.83 प्रतिशत)
कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित)	31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.10 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 27.70 प्रतिशत
बकाया गारंटियां	पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न होना	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 9.47 प्रतिशत*	पिछले वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 10.81 प्रतिशत* ।


* राज्य वित्त लेखे में उपलब्ध जानकारी की सीमा तक तथा 2011-12 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण पत्रक
(स्रोत: 2011-12 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण पत्रक तथा सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- राज्य ने वर्ष 2004-05 में राजस्व आधिक्य उपार्जित कर लिया था तथा उसके पश्चात राजस्व आधिक्य को बनाये रखा। वास्तविक कर राजस्व (₹ 26,973 करोड़) तथा करेतर राजस्व (₹ 7,483 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग (क्रमशः ₹ 19,175 करोड़ और ₹ 4,911 करोड़) एवं बजट अनुमान (क्रमशः ₹ 23,118 करोड़ और ₹ 5,999 करोड़) दोनों के निर्धारित स्तरों की तुलना में अधिक थे जबकि वर्ष 2011-12 में योजनेतर राजस्व व्यय (₹ 36,677 करोड़), तेरहवें वित्त आयोग (₹ 30,776 करोड़) के मानकीय निर्धारित स्तर की तुलना में अधिक थे लेकिन राज्य के मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (₹ 38,205 करोड़) के प्रक्षेपणों से कम था [तालिकाएं 1.7 एवं 1.8]।
- राजकोषीय घाटा, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन लक्ष्यों में निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत की संशोधित सीमा के भीतर था तथा तेरहवें वित्त आयोग और मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों द्वारा निर्धारित तीन प्रतिशत की सीमा के भी भीतर था।
- 27.70 प्रतिशत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल राजकोषीय देयताएं (गारंटियों सहित) 31 मार्च 2015 तक प्राप्त किये जाने वाले राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों के भीतर था जबकि यह मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण के प्रक्षेपणों से कम था।
- वर्ष के दौरान बकाया गारंटियां पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की केवल 10.81 प्रतिशत थी जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्वों एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों में निर्धारित सीमा के भीतर थीं लेकिन मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (एम.टी.एफ.पी.एस.) के प्रक्षेपणों से थोड़ा अधिक थी।

1.4 बजट 2011-12

वास्तविक आंकड़ों की तुलना में बजट अनुमान

चार्ट 1.1 कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिये बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: 2011-12 के राज्य वित्त लेखे और बजट अनुमान)

उपरोक्त चार्ट में यह देखा गया है कि:


- प्रमुख राजकोषीय संकेतकों यथा राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटे एवं प्राथमिक घाटे ने बजट अनुमानों के संदर्भ में सुधार दर्शाया।
- ब्याज अदायगियाँ व राजस्व व्यय बजट अनुमानों की सीमा में थे जबकि पूंजीगत परिव्यय और करेतर राजस्व बजट अनुमानों से अधिक थे।
- कर राजस्व, बजट अनुमान की तुलना में अधिक मुख्य रूप से स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर करों और विद्युत कर तथा शुल्क के अधीन अधिक प्राप्तियों के कारण था। उक्त मदों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से क्रमशः ₹ 1,284, ₹ 687 करोड़ तथा ₹ 403 करोड़ अधिक थी।

- पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से बिजली परियोजनाओं (₹ 236 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 180 करोड़) तथा मुख्य सिंचाई (₹ 92 करोड़) के अधीन अधिक व्यय के कारण बजट अनुमान से अधिक हुआ था जिसे सड़कें एवं पुल (₹ 160 करोड़) तथा मध्यम सिंचाई (₹ 62 करोड़) के अधीन कम व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

1.5 राज्य के संसाधन

1.5.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन²


तालिका 1.1 वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के वार्षिक वित्त लेखे में यथा अभिलिखित प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जबकि चार्ट 1.2 वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की प्रवृत्ति का चित्रण करता है।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

² राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों की दो धाराएं हैं जिनमें राज्य सरकार के संसाधन समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियों यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से बाजार ऋण तथा उधारियां) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे से उपार्जन सम्मिलित है।

चार्ट 1.3 वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना प्रदर्शित करता है।



(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व, पूंजीगत एवं लोक लेखे प्राप्तियों में कुल प्राप्तियों का क्रमशः 41, 10 एवं 49 प्रतिशत समाविष्ट है। 2007-12 की अवधि के दौरान, राज्य की कुल प्राप्तियों में 109 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जिसमें से राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में 104 प्रतिशत व 356 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- 2007-12 के दौरान कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का सापेक्ष अंश 39 से 41 प्रतिशत के मध्य था। कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों के अंश में 2007-08 में पांच प्रतिशत से 2011-12 में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों में 2010-11 में ₹ 7,458 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 5.95 प्रतिशत) से 2011-12 में ₹ 6,750 करोड़ (4.36 प्रतिशत) तक की कमी आई जिसका कारण केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों में कमतर उधारियाँ थी।
- यद्यपि 2007-12 की अवधि के दौरान लोक लेखे के अधीन प्राप्तियों में, 18.26 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर पर वृद्धि हुई, राज्य की कुल प्राप्तियों में उनका अंश अंतर-वर्ष विभिन्नताओं सहित 2007-08 में 54 प्रतिशत से 2011-12 के दौरान 49 प्रतिशत के मध्य था।

1.5.2 राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को राज्य बजट से बाहर निधियों का अंतरण

केन्द्र सरकार ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये, 2010-11 के दौरान ₹ 9,002.13 करोड़ के अंतरण के विरुद्ध 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों³ को ₹ 9,497.91 करोड़ अंतरित किए। 2011-12 के दौरान निधियों के अंतरणों में छः प्रतिशत तक की

³ राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों में ऐसे संगठन/संस्थायें/गैर शासकीय संस्थायें शामिल हैं जो निर्दिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार से निधि प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे राज्य कार्यान्वयन संस्थाओं के लिये सर्व शिक्षा अभियान, राज्य स्वास्थ्य मिशन के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि।

वृद्धि हुई। मुख्य केन्द्रीय योजना कार्यक्रमों के विषय में ब्यौरे तालिका 1.3 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.3: राज्य में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अन्तरित निधियां (राज्य बजट से बाहर से प्रदत्त निधियां)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कार्यक्रम/योजना का नाम	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण/विभाग	2011-12 में भारत सरकार द्वारा विमोचित
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (90:10)	मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी, भोपाल	2,968.51
2.	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन	1,904.27
3.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाय.)	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल	1,138.05
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) केन्द्र प्रवर्तित (85:15)	राज्य स्वास्थ्य संस्था, मध्य प्रदेश	620.62
5.	ग्रामीण आवास योजना-आई.ए.वाई. (75:25)	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	426.68
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	140.09
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल	152.69
8.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	242.39
9.	उत्कृष्टता के चिन्ह के रूप में खण्ड स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति	202.74
10.	केन्द्रीय ग्रामीण सफाई योजना	राज्य जल एवं सफाई मिशन, मध्य प्रदेश, भोपाल	150.76
11.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (100:0)	राज्य कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान	146.82
12.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल	142.00
13.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	जिलाधीश (सभी जिले)	132.10
14.	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. एम.पी.)	एस.एल.एन.ए., मध्य प्रदेश	106.53
15.	आजीविका	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (सभी जिले)	115.39
16.	राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन	संचालक, उद्यानिकी, मध्य प्रदेश	109.64

(स्रोत : सी.पी.एस.एम. सेल, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश तथा वर्ष 2011-12 के राज्य वित्त लेखे)


2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा अंतरित ₹ 9,498 करोड़ में से ₹ 71.47 करोड़, 667 स्वैच्छिक संगठनों/अशासकीय संगठनों को दिए गये। इनमें से 25 अशासकीय संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों ने वर्ष के दौरान प्रत्येक में ₹ 25 लाख अथवा उससे अधिक की राशि प्राप्त की जिसका योग ₹ 46.15 करोड़ है (परिशिष्ट 1.7)।

चूंकि ये निधियां राज्य बजट/राज्य कोषालय प्रणाली से नहीं गुजरती, अतः वार्षिक वित्त लेखा इन निधियों के प्रवाह को अभिग्रहण नहीं कर पाते तथा इस सीमा तक राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ-साथ उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय परिवर्ती/पैरामीटरों को कम करके आंका जाता है। संघ द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सीधे हस्तांतरित निधियों के प्रभावी उपयोग में निगरानी व्यवस्था में पर्याप्त नियंत्रण पद्धति होना चाहिये, इसके अभाव में यह राजकोषीय एवं वित्तीय कार्यों में बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक पारदर्शिता के दायित्व को प्रभावित कर सकता है।


1.6 राजस्व प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर, करेतर राजस्व, भारत सरकार से केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायता-अनुदान समाविष्ट हैं। 2011-12 के वित्त लेखों के विवरण पत्रक-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिये गये हैं।

2007-12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं रचना परिशिष्ट 1.4 में प्रस्तुत की गयी हैं और क्रमशः चार्ट 1.4 एवं 1.5 में भी चित्रित की गयी हैं।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

सामान्य प्रवृत्तियां

- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2007-08 में ₹ 30,689 करोड़ से 2011-12 में ₹ 62,604 करोड़ तक 21 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर पर सुसंगत वृद्धि हुई। जबकि 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 55 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया था जिसमें कर राजस्व (43 प्रतिशत) एवं करेतर राजस्व (12 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 45 प्रतिशत केन्द्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था।

- 2007-12 के दौरान 2010-11 को छोड़कर, राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व के सापेक्ष अंशदान में वृद्धि की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया जबकि केन्द्रीय कर अंतरणों तथा सहायता अनुदानों में 2007-10 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति एवं 2010-12 में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई थी।
- राज्य की राजस्व प्राप्तियों में, 2011-12 के दौरान ₹ 10,750 करोड़ की कुल वृद्धि में से ₹ 3,433 करोड़ (32 प्रतिशत) केन्द्रीय अंतरणों का योगदान तथा शेष ₹ 7,317 करोड़ (68 प्रतिशत) राज्य के स्वयं के संसाधनों का योगदान था।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को तालिका 1.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.4: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	30,689	33,577	41,395	51,854	62,604
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.44	9.41	23.28	25.27	20.73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े (₹ करोड़ में)	1,61,469	1,97,276	2,27,984	2,60,403	3,15,387
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.69	22.17	15.57	14.22	21.11
राजस्व प्राप्तियों/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.00	17.02	18.16	19.91	19.85
उत्प्लावकता अनुपात⁴					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.66	0.42	1.50	1.78	0.98
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.26	0.60	1.73	1.69	1.23

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित जानकारी)

आदर्शतः, राजस्व की संवृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर से अधिक होनी चाहिये ताकि समय के साथ बजट बेहतर संतुलित किया जा सके। तालिका के विश्लेषण पर निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में 2007-08 में 19 प्रतिशत से 2010-12 में 19.91 प्रतिशत तक की सुसंगत वृद्धि हुई परंतु 2011-12 में अंशतः 19.85 प्रतिशत तक की गिरावट आई।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता तथा राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता में विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 में गिरावट आई जिसका कारण राजस्व प्राप्तियों में कम वृद्धि का होना था।

⁴ उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत अस्थिरता में दिये गये परिवर्तनों के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की प्रतिक्रियाशीलता का लचीलापन अथवा अवस्था दर्शाता है। उदाहरण के लिये 0.6 पर राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ होता है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 0.6 प्रतिशत पॉइन्ट तक वृद्धि की प्रवृत्ति होती है।

1.6.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

चूंकि केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं, केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण, योजनागत योजनाओं इत्यादि के लिए केन्द्रीय सहायता के आधार पर निश्चित किया जाता है, इसलिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन उसके स्वयं के कर एवं करेतर स्रोतों से प्राप्त राजस्व को समाविष्ट करते हुए उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

वर्ष 2011-12 के दौरान, बजट अनुमानों की तुलना में मुख्य करों एवं शुल्कों के सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा संबंधित अखिल भारतीय औसत के साथ सकल संग्रहण पर ऐसे व्यय की प्रतिशतता तालिका 1.5 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.5: संग्रहण लागत

							(₹ करोड़ में)
सरल क्रमांक	राजस्व के शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संग्रहण	राजस्व के संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	वर्ष के लिये अखिल भारतीय औसत की प्रतिशतता (2010-11)
कर राजस्व							
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2011-12	11,830.00	12,516.73	111.36	0.89	0.75
2	वाहन कर	2011-12	1,285.00	1,357.12	40.40	2.98	3.71
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2011-12	4,050.00	4,316.49	973.88	22.56	3.05
4	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	2011-12	2,000.00	3,284.41	63.71	1.94	1.60

(स्रोत: बजट अनुमान 2011-12, राज्य वित्त लेखे एवं महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

2011-12 के दौरान, सकल संग्रहण, वाहन कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्कों के संबंध में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था।

कर राजस्व

➤ नीचे तालिका 1.6 2007-12 के दौरान, राज्य के कर राजस्व के संघटन की प्रवृत्तियों को दर्शाती है:

तालिका 1.6: कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,045	6,843	7,724	10,257	12,517
राज्य उत्पाद शुल्क	1,854	2,302	2,952	3,603	4,317
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,532	1,479	1,783	2,514	3,284
वाहन कर	703	773	919	1,198	1,357
भू-राजस्व	129	339	180	361	279
माल तथा यात्री कर	916	1,333	1,333	1,746	2,047
अन्य कर	839	545	2,382	1,740	3,172*
योग	12,018	13,614	17,273	21,419	26,973

* अन्य करों में विद्युत कर तथा शुल्क (₹ 1,773 करोड़), कृषि भूमि से गिन्न अचल सम्पत्ति पर कर (₹ 1,080 करोड़), आय तथा व्यय पर अन्य कर (₹ 249 करोड़), वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (₹ 52 करोड़) एवं होटल प्राप्ति कर (₹ 18 करोड़) सम्मिलित है।
(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2011-12 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में बिक्री, व्यापार आदि पर कर की प्रमुख हिस्सेदारी (46 प्रतिशत) थी, इसके पश्चात राज्य उत्पाद शुल्क (16 प्रतिशत), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (12 प्रतिशत), माल तथा यात्री कर (आठ प्रतिशत) तथा वाहन कर (पाँच प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर में 22 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क में 20 प्रतिशत, स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क में 31 प्रतिशत, वाहन कर में 13 प्रतिशत, माल तथा यात्री कर में 17 प्रतिशत की वृद्धि थी एवं विद्युत कर तथा शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा भू-राजस्व में 23 प्रतिशत की कमी हुई।
- बिक्री, व्यापार आदि पर करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि (₹ 2,260 करोड़) का मुख्य कारण राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का होना था। राज्य उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से विदेशी लिकर तथा स्प्रिट, अल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मिति के कारण हुई। स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क के अंतर्गत वृद्धि मुख्य रूप से स्टाम्प न्यायिका (₹ 64 करोड़) एवं स्टाम्प-न्यायिकेत्तर (₹ 715 करोड़) की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। वाहन करों के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि, भारतीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति ₹ 42 करोड़ एवं अन्य प्राप्तियों (₹ 103 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। भू-राजस्व के अंतर्गत कमी का मुख्य कारण भू-राजस्व/कर (₹ 72 करोड़) तथा भूमि पर पौरकर और उपकर (₹ 29 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी था। माल तथा यात्री करों के अंतर्गत ₹ 301 करोड़ की वृद्धि, मुख्य रूप से माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी। विद्युत कर तथा शुल्क के अंतर्गत वृद्धि (₹ 297 करोड़) मुख्यतः विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर के अंतर्गत तथा भारतीय विद्युत नियमावली के अंतर्गत फीस की अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

करेतर राजस्व

करेतर राजस्व में मुख्यतः ब्याज, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, वानिकी तथा वन्यप्राणी, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति से प्राप्तियां शामिल हैं।

- करेतर राजस्व में, 2010-11 में ₹ 5,720 करोड़ से 2011-12 में ₹ 7,483 करोड़ तक ₹ 1,763 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसके मुख्य कारण, ब्याज प्राप्तियों (₹ 1,273 करोड़) एवं शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 357 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।
- 2011-12 के दौरान, करेतर राजस्व में, मुख्य रूप से योगदान करने वालों में, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (27 प्रतिशत), वानिकी तथा वन्यप्राणी (12 प्रतिशत), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (21 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ (22 प्रतिशत) थे।
- यह देखा गया था कि 2002-03 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान, संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर मध्य प्रदेश के मामले में सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उच्चतर थी (परिशिष्ट 1.1)।

2011-12 के दौरान, राज्य के कर राजस्व एवं करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ, तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारणों की तुलना को नीचे तालिका 1.7 में दिया गया है:

तालिका 1.7: कर एवं करेतर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में राज्य सरकार द्वारा प्रक्षेपण	वास्तविक प्राप्तियां
कर राजस्व	19,715	23,118	26,973
करेतर राजस्व	4,911	5,999	7,483

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य वित्त लेखे एवं 2011-12 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन विधान सभा में प्रस्तुत विवरण पत्रक तथा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं 2010-15)

कर राजस्व व करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक वसूली तेरहवें वित्त आयोग (36.81 एवं 52.37 प्रतिशत) द्वारा किए गए निर्धारण तथा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रक्षेपणों (16.68 एवं 24.74 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर थी। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के संदर्भ में करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति और बिजली विभागों की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

प्रचालन और संधारण व्ययों की वसूली लागत

करेतर राजस्व के मुख्य संघटकों के विषय में किये गये प्रचालन और संधारण प्रभारों की लागत परिशिष्ट 1.6 में दी गई है। जैसा कि परिशिष्ट में देखा जा सकता है कि 2011-12 में प्रचालन एवं संधारण व्ययों (करेतर राजस्व-प्राप्तियों का प्रचालन एवं संधारण से अनुपात) की वसूली लागत, शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए 190.56, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिए 6.58, जलपूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास के लिए 0.25, कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिये 98.71, परिवहन के लिये 0.01, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिये 8.08 और बिजली के लिये 28.04 थे। इससे यह प्रकट हुआ कि इन क्षेत्रों में करेतर राजस्व की तुलना में जलपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास तथा परिवहन क्षेत्रों पर प्रचालन और संधारण व्यय अधिक था। राज्य

सरकार को, करेतर राजस्व प्राप्तियों में, वृद्धि करना चाहिये और इन दोनों क्षेत्रों में प्रचालन एवं संधारण व्ययों को कम करना चाहिये।


1.7 संसाधनों का अनुप्रयोग

व्यय के आवंटन का विश्लेषण राज्य सरकार के स्तर द्वारा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि प्रभावी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व तथा संसाधनों के अनुप्रयोग का निर्वहन उनके द्वारा किया जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढाँचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों द्वारा वित्त पोषित लोक व्यय को उठाने में बजटीय प्रतिबंध है। इसलिये यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया, लोक व्यय जो उधारियों द्वारा वित्त पोषित है, की वृद्धि की प्रवृत्ति की अनदेखी के बिना, सामाजिक और विकास व्यय पर ध्यान केन्द्रित है। राजकोषीय संकेतकों (समयबद्ध आंकड़े) की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.4 में दी गई है।

1.7.1 व्यय की वृद्धि एवं रचना

कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने तथा पिछले दायित्वों के भुगतान हेतु किया जाता है तथा जिससे राज्य सरकार की अवस्थापना एवं दी जा रही सेवाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है। पूंजीगत परिव्ययों द्वारा राज्य के अवस्थापना तथा दी जा रही (मूर्त परिसम्पत्तियाँ) सेवाओं में वृद्धि होती है।

चार्ट 1.6 पाँच वर्षों की अवधि (2007-12) के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इसके संघटन का चित्रण 'आर्थिक वर्गीकरण' और 'कार्यकलापवार व्यय' दोनों के सन्दर्भ में क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में प्रदर्शित है।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखें)


2007-12 के दौरान, राज्य के कुल व्यय में 26 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वार्षिक औसत वृद्धि दर से ₹ 33,591 से ₹ 77,513 की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, पूंजीगत और

राजस्व व्यय संघटकों में क्रमशः ₹ 2,222 करोड़ (33 प्रतिशत) और ₹ 27,093 (106 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि पूंजीगत और राजस्व व्यय में वृद्धि पाँच वर्षों की अवधि के दौरान 1:12 के अनुपात में थी।


कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय के अनुपात में 2007-08 में 76 प्रतिशत से 2011-12 में 68 प्रतिशत तक अंतर्वर्षीय उतार चढ़ाव सहित कमी हुई तथा राज्य सरकार के कुल व्यय के प्रमुख भाग में अंशदान जारी रखा। कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय में 2007-08 में 20 प्रतिशत से 2011-12 में 12 प्रतिशत तक तदनुसूची कमी आई। योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय के संदर्भ में, विगत वर्ष की तुलना में योजनागत व्यय में ₹ 3,592 करोड़ की वृद्धि तथा योजनेत्तर व्यय में ₹ 16,390 करोड़ तक की वृद्धि पंजीबद्ध की गई।

2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान कुल व्यय में ₹ 19,984 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि (35 प्रतिशत) मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹ 7,682 करोड़ (17 प्रतिशत) और पूंजीगत व्यय में ₹ 255 करोड़ (तीन प्रतिशत) तथा कर्ज तथा अग्रिमों के संवितरणों में अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ₹ 12,047 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। पूंजीगत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा (₹ 616 करोड़), जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (₹ 102 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (₹ 77 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 53 करोड़) पर पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण थी, जिसे परिवहन (₹ 301 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 99 करोड़), कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप (₹ 98 करोड़) और समाज कल्याण एवं पोषण (₹ 51 करोड़) की कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।

2011-12 में, कुल व्यय (₹ 77,513 करोड़) के अनुपात में राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 62,604 करोड़) 81 प्रतिशत पर स्थिर रहीं जिसका तात्पर्य था कि कुल व्यय का 81 प्रतिशत, राजस्व प्राप्तियों से किया जा सकता था। 2007-12 के दौरान राजकोषीय देयताओं से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात की घटती हुई प्रवृत्ति से कुल व्यय के वित्तपोषण हेतु राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ती हुई निर्भरता का संकेत तथा उधार ली गई निधियों पर कम निर्भरता प्रकट हुई।



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2007-12 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 68 से 78 प्रतिशत के मध्य था।
- 2007-12 के दौरान कुल व्यय में कर्ज तथा अग्रिम के अंश में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट हुई, 2010-11 को छोड़कर जब यह कम हुई थी।
- 2007-12 की अवधि के दौरान पूंजीगत परिव्यय में कमी की प्रवृत्ति देखी गई। यह देखा गया कि अवधि के दौरान कुल पूंजीगत परिव्यय का मुख्य भाग योजनागत पूंजीगत परिव्यय था। 2011-12 के दौरान, कुल पूंजीगत परिव्यय का

99.65 प्रतिशत योजनागत पूंजीगत परिव्यय (₹ 9,023 करोड़) था जिसमें 2010-11 में ₹ 8,657 करोड़ के स्तर से ₹ 366 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

- 2007-12 की अवधि में अविकासीय व्यय समझी जाने वाली सामान्य सेवाओं (ब्याज की अदायगी सहित) के अंश में 28.07 प्रतिशत से 21.16 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि 2007-08 में सामाजिक सेवाओं के अंश में 27.65 प्रतिशत से 2010-11 में 32.82 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई और 2011-12 में 28.25 प्रतिशत की गिरावट आई। आर्थिक सेवाओं के अंश में 2007-08 में 36.19 प्रतिशत से 2011-12 में 26.13 प्रतिशत तक घटती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी। विकास व्यय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ सम्मिलित होती हैं, में 2010-11 में 62.67 प्रतिशत से 2011-12 में 54.38 प्रतिशत तक की कमी आई।
- 2007-10 के दौरान सहायता अनुदानों के अंश में वृद्धि की प्रवृत्ति और 2010-12 के दौरान कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति

- राज्य के समग्र राजस्व व्यय में 2007-08 में ₹ 25,601 करोड़ से 2011-12 में ₹ 52,694 करोड़ तक की वृद्धि हुई, जो इस अवधि में 106 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करती है। 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय की कुल वृद्धि ₹ 7,682 करोड़ (17.07 प्रतिशत) में से योजनेत्तर राजस्व व्यय की राशि ₹ 4,576 करोड़ (60 प्रतिशत) थी, जबकि योजनागत राजस्व शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,106 करोड़ (40 प्रतिशत) व्यय किये गये थे।
- 2011-12 के दौरान योजनेत्तर राजस्व व्यय में वृद्धि, मुख्य रूप से, सामान्य शिक्षा (₹ 896 करोड़), अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 757 करोड़), पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ (₹ 622 करोड़), स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (₹ 237 करोड़), पुलिस (₹ 291 करोड़), ब्याज की अदायगी (₹ 251 करोड़), चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य (₹ 229 करोड़) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 271 करोड़) के कारण हुई, जिसे बिजली (₹ 176 करोड़) के अंतर्गत व्यय में कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।
- तेरहवें वित्त आयोग और राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण की तुलना में वास्तविक योजनेत्तर राजस्व व्यय को तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका- 1.8: योजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण-पत्रक में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्धारण	वास्तविक योजनेत्तर राजस्व व्यय
	(1)	(2)	(3)
2011-12	26,957	38,205	36,677

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेख और तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अधीन प्रस्तुत विवरण-पत्रक)

- 2011-12 में ₹ 36,677 करोड़ का वास्तविक योजनेतर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारित स्तर (36.06 प्रतिशत) से अधिक था लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में किए गए प्रक्षेपण (चार प्रतिशत) से कम था। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये निर्धारण के विरुद्ध वृद्धि मुख्यतः सामान्य सेवाओं ब्याज अदायगियों को छोड़कर (₹ 6,459 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 8,467 करोड़) और आर्थिक सेवाओं (₹ 5,761 करोड़) के अंतर्गत थी जिसे ब्याज अदायगियों (₹ 534 करोड़) के अंतर्गत कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।
- योजनागत राजस्व व्यय जिसमें 2007-12 की अवधि के दौरान लगातार वृद्धि हुई थी, 2011-12 के दौरान ₹ 3,106 करोड़ (24.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। 2011-12 में योजनागत राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा (₹ 476 करोड़), शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 598 करोड़), जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (₹ 191 करोड़), सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 788 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 107 करोड़), अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण (₹ 181 करोड़), स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (₹ 164 करोड़) और ऊर्जा (₹ 594 करोड़) के अन्तर्गत हुई।

1.7.2 वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायता पर व्यय

राज्य सरकार के राजस्व मद में व्यय में मुख्य रूप से ब्याज अदायगियां, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं राजसहायताएं सम्मिलित हैं। 2007-12 के दौरान इन संघटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को तालिका 1.9 और चार्ट 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका - 1.9: वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियां और राजसहायता पर व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी जिसके	6,984 (22.76)	8,547 (25.45)	10,678 (25.80)	13,100 (25.26)	17,839 (30.87)	14,113 (22.54)
योजनेतर शीर्ष	6,221	7,660	9,406	11,490	--	12,274
योजनागत शीर्ष**	763	887	1,272	1,610	--	1,839
ब्याज अदायगियां	4,191 (13.66)	4,192 (12.48)	4,454 (10.76)	5,049 (9.74)	5,342 (9.24)	5,300 (8.47)
पेंशन पर व्यय	1,964 (6)	2,433 (7)	3,077 (7)	3,767 (7.26)	5,158 (8.93)	4,389 (7.01)
राजसहायताएं	141 ^(क) (0.46)	132 ^(क) (0.39)	2,033 ^(क) (4.91)	1,810 ^(क) (3.49)	18,328 (31.71)	2,926 ^(क) (4.67)
योग	13,280 (43)	15,304 (46)	20,242 (49)	23,726 (46)	46,667 (81)	26,728 (43)

कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्ति से प्रतिशतता प्रदर्शित करते हैं।

** योजनागत शीर्ष में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।

(क) उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेख में जानकारी उपलब्ध है।

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेख और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

2007-12 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियों एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में 101 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान यह व्यय योजनेत्तर राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत था। राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता के रूप में 2007-10 तक वृद्धि की प्रवृत्ति तथा 2010-12 के दौरान कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2011-12 के दौरान, यह राजस्व प्राप्तियों का 43 प्रतिशत था तथा विगत वर्ष एवं बजट प्रक्षेपणों से कम था। संघटकवार विश्लेषण नीचे दिए गए अनुसार है:

वेतन एवं मजदूरी

- 2007-08 में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में ₹ 6,984 करोड़ से 2011-12 में ₹ 14,113 करोड़ तक 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2007-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति और 2010-12 के दौरान कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।
- विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान योजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में सात प्रतिशत की वृद्धि थी। 2011-12 में वेतन एवं मजदूरी का वास्तविक व्यय ₹ 14,113 करोड़ बजट अनुमान में किये गये प्रक्षेपणों (₹ 17,839 करोड़) से कम था।

पेंशन भुगतान

- 2010-11 के दौरान पेंशन भुगतानों में ₹ 3,767 करोड़ से 2011-12 के दौरान ₹ 4,389 करोड़ तक 17 प्रतिशत तक की वृद्धि मुख्य रूप से अधिवार्षिकी तथा सेवानिवृत्ति भत्ते (₹ 443 करोड़), परिवार पेंशन (₹ 171 करोड़) और परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान (₹ 39 करोड़) के अंतर्गत वृद्धि के कारण थी।

- 2011-12 में ₹ 4,389 करोड़ (14.91 प्रतिशत) का वास्तविक पेंशन भुगतान ₹ 5,158 करोड़ (36.05 प्रतिशत) के बजट अनुमानों से कम था तथा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा प्रक्षेपित ₹ 3,226 करोड़ से अधिक था।

ब्याज अदायगियां

- 2011-12 के दौरान ₹ 5,300 करोड़ के ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों के 8.47 प्रतिशत लेखांकित किए गए और जो 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय के 10.06 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान ब्याज अदायगियां केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ (₹ 1,475 करोड़), बाजार ऋण (₹ 1,660 करोड़), केन्द्र सरकार से उधार लिये गये ऋण (₹ 667 करोड़), राज्य भविष्य निधि (₹ 1,050 करोड़) और अन्य आंतरिक ऋणों (₹ 426 करोड़) पर था।
- विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान ब्याज अदायगी में ₹ 251 करोड़ की वृद्धि राज्य भविष्य निधि (₹ 458 करोड़), अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज (₹ 94 करोड़) और केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज (₹ 48 करोड़) में वृद्धि के परिणामस्वरूप थी, जिसे बाजार ऋण पर ब्याज (144 करोड़), अन्य दायित्वों पर ब्याज (₹ 183 करोड़) और केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज (₹ 22 करोड़) के अंतर्गत कमी द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसन्तुलित किया गया।
- वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹ 5,300 करोड़ के ब्याज अदायगियां, ₹ 5,342 करोड़ के बजट अनुमान और 2011-12 के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए प्रक्षेपणों (₹ 5,834 करोड़) दोनों की तुलना में कम थे।

राजसहायताएं

- राजसहायता के भुगतान ₹ 2,926 करोड़ (योजनेत्तर: ₹ 1,543 करोड़ और योजनागत: ₹ 1,383 करोड़) को राजस्व प्राप्तियों का 4.67 प्रतिशत लेखांकन किया गया और 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय का 5.55 प्रतिशत था। योजनेत्तर और योजनागत राजस्व व्यय में राजसहायताओं के ब्यौरे **परिशिष्ट 1.9** में प्रस्तुत किए गए हैं।
- 2011-12 के दौरान कुल राजसहायताएं ₹ 2,926 करोड़ में से ₹ 1,551 करोड़ (53 प्रतिशत) मुख्यतः ऊर्जा विभाग के लिये थी।
- विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राजसहायता की राशि (₹ 1,116 करोड़) में वृद्धि मुख्यतः सहकारिता (₹ 238 करोड़), किसान कल्याण तथा कृषि विकास (₹ 220 करोड़) और स्कूल शिक्षा (₹ 173 करोड़) को राजसहायता में वृद्धि के कारण हुई।

1.7.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं को अनुदानों और ऋणों के द्वारा उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा **तालिका 1.10** में प्रस्तुत की गई है:

तालिका-1.10: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010-11	2011-12
शैक्षणिक संस्थाएँ	1,481.13	2,107.33
विकित्सा स्वास्थ्य तथा लोक स्वास्थ्य	623.35	753.28
आवास	156.36	201.04
शहरी विकास	579.60	778.14
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	277.68	353.58
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	644.37	671.01
ग्रामीण विकास	768.21	711.40
ग्रामीण रोजगार	227.99	336.50
पंचायती राज	3,966.17	4,446.96
जलपूर्ति तथा सफाई	160.08	111.04
अन्य संस्थाएँ	232.12	360.02
योग	9,117.06	10,830.30
राजस्व व्यय से प्रतिशतता अनुसार सहायता	20.25	20.55

(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी.ऑफ़िस)

- स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं के वित्तीय सहायता में 2010-11 में ₹ 9,117.06 करोड़ से 2011-12 में ₹ 10,830.30 करोड़ तक ₹ 1,713.24 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं (₹ 626.20 करोड़; 42 प्रतिशत) और पंचायती राज संस्थाओं (₹ 480.79 करोड़; 12 प्रतिशत) को वित्तीय सहायता देने के कारण हुई।
- राजस्व व्यय से प्रतिशतता के रूप में सहायता 2010-11 में 20.25 प्रतिशत से 2011-12 में 20.55 प्रतिशत तक आंशिक वृद्धि हुई।

1.7.3.1 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा व्यवस्थायें एवं निधियों का हस्तांतरण

(क) नगरीय स्थानीय निकाय

चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पश्चात नगरीय स्थानीय निकायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यो व जिम्मेदारियों को निहित करते हुये स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में सम्पूर्ण और जीवंत संस्थान बनाया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने इन संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली में बड़े शहरी क्षेत्र के लिये नगर पालिका निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिये नगर पालिका परिषदों तथा संक्रमण कालीन क्षेत्रों के लिये नगर परिषदों में पुर्नगठित किया।

राज्य में 377 नगरीय स्थानीय निकाय (14 नगर पालिका निगम, 100 नगर पालिका परिषद् और 263 नगर परिषद्) हैं, जो निर्वाचित निकायों द्वारा संचालित किये जाते हैं।

निधियों, कार्यो तथा पदाधिकारियों के स्थानांतरण

नगरीय स्थानीय निकायों की स्वशासी संस्थानों के रूप में कल्पना करने पर चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम में हस्तांतरण की सीमा को राज्य विधान सभाओं के संज्ञान में छोड़ दिया। कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण तथा स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ, नगरीय निकायों को हस्तांतरण के प्रमुख तत्व निधि कार्य तथा पदाधिकारियों के स्थानांतरण हैं। अंतरित कार्यो के क्रियान्वयन के

लिए नगरीय स्थानीय निकायों को निधियों का हस्तांतरण एक प्राकृतिक उपनिगमन होना चाहिये। नगरीय स्थानीय निकायों को शक्तियों व कार्यों के हस्तांतरण के कुशल निर्वहन के लिये सभी स्तरों पर योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता आवश्यक है।

राज्य सरकार ने सभी 18 कार्यों⁵ (संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित) को नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिये। यद्यपि, कोई निधि तथा पदाधिकारियों को अलग से हस्तांतरित नहीं किया गया है (अगस्त 2012)।

अनुदानों के हस्तांतरण

तृतीय राज्य वित्त आयोग में अनुशंसा (राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2010 में स्वीकार किया गया) की कि, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष⁶ का एक प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जानी चाहिए। निधियाँ जो हस्तांतरित की जानी हैं और जो वास्तव में राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गईं, तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: नगरीय स्थानीय निकायों को अनुदानों के हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विगत वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व	विगत वर्ष के सौंपे गये कर राजस्व	राज्य सरकार के विभाजनीय कोष	तीसरे राज्य वित्त आयोग के अनुसार निधियाँ जो हस्तांतरित की जानी हैं	निधियाँ जो राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गईं	कम विमोचन
2010-11	17,272.81	1,266.00	13,960.22	139.60	122.74	16.86
2011-12	21,419.34	1,520.80	17,410.17	174.10	141.41	32.69
योग	38,692.15	2,786.80	31,370.39	313.70	264.15	49.55

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2009-10 एवं 2010-11 एवं आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित निधियाँ, तृतीय राज्य वित्त आयोग के मानदण्डों की तुलना में कम (₹ 49.55 करोड़) थी।

स्वयं के संसाधनों से उत्पादित राजस्व

अक्टूबर 2011 तथा पुनः जून 2012 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों और व्यय का विवरण मांगा गया। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कहा (जून 2012) कि उक्त चाही जानकारी को एकत्रित कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दी जायेगी। नवम्बर 2012 में पुनः जानकारी माँगी गई लेकिन उनके उत्तर अपेक्षित हैं (नवम्बर 2012)।

⁵ नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी हैं; भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण; आर्थिक और सामाजिक विकास योजना; सड़कें और पुल; घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये जल प्रदाय; लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध; अग्निशमन सेवाएँ; नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि; समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा; गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन; नगरीय निर्धनता उन्मूलन; नगरीय सुख-सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था; सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि; शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह; कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण; जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी हैं; सार्वजनिक सुख-सुविधाएँ, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएँ भी हैं; वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन;

⁶ स्वयं के कर राजस्व में से कर वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि एवं स्थानीय निकायों को विगत वर्ष में सौंपे गये कर राजस्व घटाने के बाद।

लेखापरीक्षा व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अन्तर्गत लाया गया (नवम्बर 2001)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन उसी तरह करेंगे जैसे ये उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो।

2011-12 के दौरान प्रधान महालेखाकार⁷ द्वारा 10 नगर पालिका निगम सहित 68 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी और निरीक्षण प्रतिवेदन को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को, तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेजा गया। 2011-12 के अन्त तक 5479 अभ्युक्तियाँ (2011-12 के दौरान जारी 285 अभ्युक्तियों को मिलाकर) शेष थे।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लेखित है कि राज्य सरकार को आवश्यक रूप से सभी स्थानीय निकायों के लिए एक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहिये और राज्य के सभी स्थानीय निकायों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा जाये। पुनः भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये। तदनुसार, राज्य सरकार ने जनवरी 2012 में मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन किया जिसमें राज्य स्तर पर संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जिसे नगर पालिका निगम और नगर पालिका परिषद् के लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण देंगे और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखेंगे, का प्रावधान सम्मिलित है। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है (नवम्बर 2012)।

(ख) पंचायती राज संस्थायें

आधार स्तर पर स्वायत्ता को बढ़ावा देने के लिये तथा विकास कार्यक्रमों की पहचान एवं कार्यान्वयन में आम जनता के साथ-साथ ग्राम सभाओं को भी सम्मिलित करने के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को प्रख्यापित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 243 छ के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानसभा, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर शक्तियाँ और उत्तरदायित्व संबंधी हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।

⁷ अप्रैल 2012 से प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के रूप में नामित।

परिणामतः, मध्य प्रदेश राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की एक त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई।

- जिला हेतु जिला पंचायत,
- खंड हेतु जनपद पंचायत एवं
- ग्राम हेतु ग्राम पंचायत

राज्य में 50 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें तथा 23006 ग्राम पंचायतें हैं।

अनुदान हस्तांतरण

तृतीय राज्य वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि, राज्य सरकार के विभाजनीय कोष⁸ का चार प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित की जानी चाहिए। निधियां जो हस्तांतरित की जानी है और जो वास्तव में राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई, तालिका 1.12 में दी गई है :

तालिका 1.12: पंचायती राज संस्थानों को अनुदानों के हस्तांतरण

वर्ष	विगत वर्ष के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व	विगत वर्ष के सौंपे गये कर राजस्व	राज्य सरकार के विभाजनीय कोष	तीसरे राज्य वित्त आयोग के अनुसार निधियां जो हस्तांतरित की जानी हैं	निधियां जो राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई	कम विमोचन
2010-11	17,272.81	319.31	13,960.22	558.41	490.94	67.47
2011-12	21,419.34	346.44	17,410.17	696.41	568.60	127.81
योग	38,692.15	665.75	31,370.39	1,254.82	1,059.54	195.28

(₹ करोड़ में)

(स्रोत: राज्य वित्त लेखे 2009-10 एवं 2010-11 एवं आयुक्त पंचायती राज संस्थान मध्यप्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थानों को हस्तांतरित निधियां, तृतीय राज्य वित्त आयोग के मानदण्डों की तुलना में कम (₹ 195.28 करोड़) थी।

लेखापरीक्षा व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत लाया गया (नवम्बर 2001)। तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, उसी तरह करेंगे जैसे ये उनके स्वयं के प्रतिवेदन हो। तदनुसार 2011-12 के दौरान 47 जिला पंचायतों, 185 जनपद पंचायतों और 917 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गयी और निरीक्षण प्रतिवेदनों को संचालक स्थानीय निधि लेखापरीक्षा को भेजा गया। यद्यपि 2011-12 के अन्त में 18414 अभ्युक्तियां (2011-12 के दौरान जारी 4851 अभ्युक्तियों सहित) शेष थी।

⁸ स्वयं के कर राजस्व में से कर वसूल करने पर होने वाले व्यय हेतु 10 प्रतिशत की राशि एवं स्थानीय निकायों को विगत वर्ष में सौंपे गये कर राजस्व घटाने के बाद।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की कंडिका 10.121 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार को आवश्यक रूप से सभी स्थानीय निकायों पंचायत राज संस्थानों के सभी स्तर (टियर) के लिये एक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित करना चाहिये। राज्य के प्रत्येक स्तर (टियर) के स्थानीय निकाय हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को आवश्यक रूप से तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण दिया जाना चाहिये एवं उनके वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक/आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिये। तदनुसार, जुलाई 2011 में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया, जिसमें राज्य स्तर पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा जिसे पंचायत के लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण देंगे और संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखा जायेगा, का प्रावधान सम्मिलित है। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है (नवम्बर 2012)।

प्रकरण सरकार को संदर्भित किया गया (नवम्बर 2012); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)।

1.8 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अंतर्गत मुख्यतः तीन पक्ष समाविष्ट होते हैं यथा व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् लोक सेवा उपलब्ध कराने के लिये पर्याप्त प्रावधान), व्यय उपयोग की दक्षता और प्रभावशीलता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम संबंधों का आंकलन)।

1.8.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र एवं आर्थिक अधोसंरचना से संबंधित व्यय उत्तरदायित्व वृहद् रूप से राज्य के विषय है। मानवीय विकास के स्तरों में वृद्धि हेतु अपेक्षित है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय बढ़ाए। किसी विशेष राज्य द्वारा किसी क्षेत्र पर निम्न स्तर खर्च का कारण राज्य सरकार से जुड़ी अल्प राजकोषीय प्राथमिकता हो सकती है। अल्प राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय की तुलना में एक संवर्ग विशेष के अंतर्गत व्यय का अनुपात) एक क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती है, यदि वह संबंधित सामान्य संवर्ग के राज्यों के औसत से नीचे होती है।

तालिका 1.13 में विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत परिव्यय के संबंध में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका-1.13 : 2008-09 एवं 2011-12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय [#] /कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत परिव्यय/कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय /कुल व्यय
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2008-09	19.31	68.26	30.65	17.62	13.51	3.61
*सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
मध्य प्रदेश का औसत (अनुपात) 2011-12	24.58	74.71	28.43	11.68	12.88	3.32

* तीन सामान्य संवर्ग के राज्यों यानी दिल्ली, गोवा एवं पुदुचेरी के अतिरिक्त
 # विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत परिव्यय तथा संवितरित कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित है।
 स्रोत : सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिये जानकारी, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय से संग्रहीत की गई थी।

तुलनात्मक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मध्य प्रदेश ने 2008-09 और 2011-12 के दौरान सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कुल व्यय पर अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में उच्चतर व्यय किया।
- मध्य प्रदेश में कुल व्यय के समानुपात के रूप में विकास व्यय भी सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में उच्चतर हुआ है।
- विकास व्यय में आर्थिक सेवाओं पर व्यय एवं सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय दोनों समाविष्ट होते हैं। तथापि मध्य प्रदेश में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय (कुल व्यय के समानुपात के रूप में) निम्नतर रहा है। सामान्य संवर्ग राज्य के औसत की तुलना में स्वास्थ्य के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्रों को अपर्याप्त प्राथमिकता दी गई है क्योंकि, इन दोनों क्षेत्रों पर कमतर समानुपात के रूप में व्यय किया गया था।
- यह देखा गया है कि 2008-09 में पूंजीगत परिव्यय, कुल व्यय से प्रतिशतता के रूप में सामान्य संवर्ग राज्य के औसत से अधिक था। यद्यपि 2011-12 में यह सामान्य संवर्ग राज्य के औसत से कम था जो कि पूंजीगत निर्माण में अपर्याप्त प्राथमिकता दर्शाती है।

1.8.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व की दृष्टि से उचित व्यय युक्तिकरण उपाय करना और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक

स्वीकार्य आचरण तथा उपयोगी पदार्थों⁹ के प्रावधान पर बल देना राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। विकास व्यय¹⁰ के लिए आवंटन का अनुमोदन करने के अतिरिक्त, हाल ही के वर्षों में ऋण सेवा में हास के कारण विशेष रूप से सृजित हो रहे राजकोषीय अंतर की दृष्टि से, व्यय उपयोग की दक्षता, कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में पूंजीगत परिव्यय के अनुपात के द्वारा और राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में विद्यमान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के कार्यचालन और संधारण पर होने वाले व्यय द्वारा भी प्रतिबिम्बित होती है। कुल व्यय (और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद) की तुलना में इन संघटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी।

तालिका 1.14 में बजटीय और विगत वर्षों के आँकड़ों की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है।

तालिका 1.14 : विकास व्यय

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग)	22,339 (66)	25,999 (68)	32,910 (69)	39,741 (69)	44,126 (67)	57,908 (74)
क- विकास राजस्व व्यय	14,683 (44)	17,577 (46)	21,333 (45)	27,430 (48)	32,485 (49)	33,262 (43)
ख- विकास पूंजीगत परिव्यय	6,759 (20)	6,588 (17)	7,805 (16)	8,621 (15)	8,542 (13)	8,888 (11)
ग- विकास कर्ज तथा अग्रिम	897 (3)	1,834 (5)	3,772 (8)	3,690 (6)	3,099 (5)	15,758 (20)

कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े कुल व्यय से प्रतिशतता दर्शाते हैं।
(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)


- 2007-12 की अवधि के दौरान विकास व्यय कुल व्यय के समानुपात के रूप में 66 से 74 प्रतिशत के मध्य था।
- 2007-12 के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय का अंश, अन्तर्वर्षीय परिवर्तनों सहित, 43 से 48 प्रतिशत के मध्य था।
- 2007-12 की अवधि के दौरान विकास पूंजीगत परिव्यय के अंश, में 2007-08 में 20 प्रतिशत तथा 2011-12 में 11 प्रतिशत के साथ कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी।

⁹ कोर पब्लिक गुड्स वह होता है जिसका सभी नागरिक इस समझदारी से मिलजुल कर उपयोग करते हैं कि ऐसे स्वीकार्य आचरण का प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग किये जाने पर भी उक्त स्वीकार्य आचरण के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी के अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता, उदाहरणार्थ कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु और अन्य पर्यावरणीय पदार्थ तथा सड़के अधोसंरचना आदि।
मैरिट गुड्स में वे वस्तुएं आती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध करायी जाती हैं क्योंकि उन्हें एक व्यक्ति या समाज द्वारा कतिपय आवश्यकता की अवधारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिये, न कि सरकार को भुगतान करने की योग्यता एवं इच्छा के आधार पर और इसलिये उनके उपयोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता हो। ऐसे पदार्थों के उदाहरणों में पोषण समर्थन के लिये निर्धनों को निःशुल्क अथवा आर्थिक सहायता दर पर अन्न का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का परिदान एवं अस्वस्थता दर में कमी लाना, सभी को आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना, पीने का पानी तथा सफाई व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं।

¹⁰ व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकास व्यय तथा गैर विकास व्यय के रूप में पृथक-पृथक किया गया है। राजस्व लेखे, पूंजीगत परिव्यय और कर्ज तथा अग्रिमों से संबंधित समस्त व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। विस्तृत रूप से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में विकास व्यय संघटित होता है, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर विकास व्यय के रूप में प्रतिपादित किया जाता है।

- 2007-12 की अवधि के दौरान विकास कर्ज तथा अग्रिम के अंश में (वर्ष 2010-11 को छोड़कर) 2007-08 में तीन प्रतिशत तथा 2011-12 में 20 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति प्रकट हुई।
- 2011-12 के दौरान कुल व्यय के समानुपात के रूप में विकास राजस्व और पूंजीगत परिव्यय, विगत वर्ष की तुलना में व बजट अनुमानों दोनों से कम थे।
- 2011-12 के दौरान कुल व्यय के समानुपात के रूप में कर्ज तथा अग्रिम का अंश, बजट अनुमानों से अधिक था तथा विगत वर्ष की तुलना से भी अधिक था।

चार्ट 1.10 में 2007-12 की अवधि के दौरान संघटकवार विकास व्यय, प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

तालिका 1.15 में चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के संधारण पर किये गये राजस्व व्यय के संघटकों और पूंजीगत परिव्यय के विवरण दिये गये हैं।

तालिका 1.15: चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अघोसंरचना	2010-11			2011-12		
	कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय की तुलना में पूंजीगत परिव्यय का अंश	संबंधित क्षेत्र के राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव		वेतन एवं मजदूरी	कार्यचालन तथा रख रखाव
सामाजिक सेवाएं						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3.17	55.97	0.06	1.72	53.39	0.08
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	5.33	66.67	1.71	5.50	65.09	0.19
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	26.47	22.43	9.38	27.71	11.97	9.38
अन्य सामाजिक सेवाएं	8.51	10.05	0.06	7.98	10.02	0.06
योग (सामाजिक सेवाएं)	8.03	39.78	1.11	7.26	37.75	0.92
आर्थिक सेवाएं						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	5.31	39.97	0.23	2.31	34.21	0.19
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	84.89	87.11	5.48	83.53	67.61	5.76
बिजली तथा ऊर्जा	7.40	—	0.66	5.64	0.01	0.79
परिवहन	76.29	45.41	45.13	65.96	7.43	59.11
अन्य आर्थिक सेवाएं	23.69	11.94	0.28	19.60	9.88	1.41
योग (आर्थिक सेवाएं)	34.29	27.73	3.44	20.32	20.48	5.03
योग (सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं)	21.69	35.35	1.97	15.35	31.02	2.52

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

तालिका 1.15 से प्रकट होता है कि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय के अंश में 2010-11 में 8.03 प्रतिशत से 2011-12 में 7.26 प्रतिशत तक की कमी आई एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत इसमें 2010-11 में 34.29 प्रतिशत से 2011-12 में 20.32 प्रतिशत तक की कमी आई।

- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत, पूंजीगत परिव्यय के अंश में कमी, मुख्य रूप से शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के अन्तर्गत हुई जबकि आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत पूंजीगत परिव्यय के अंश में कमी मुख्य रूप से परिवहन और कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों के अंतर्गत थी।
- राजस्व व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत वेतन एवं मजदूरी के अंश में 2010-11 में 35.35 प्रतिशत से 2011-12 में 31.02 प्रतिशत तक कमी आई। कार्यचालन तथा रख-रखाव के मामले में, व्यय में 2010-11 में 1.97 प्रतिशत से 2011-12 में 2.52 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जो कि, मुख्य रूप से परिवहन के अन्तर्गत थी।
- यह देखा गया कि 2002-03 से 2011-12 के दौरान, मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र पर राजस्व व्यय, की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर, अन्य सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में कम थी, जबकि शिक्षा पर सामान्य संवर्ग के राज्यों की तुलना में यह उच्चतर थी। इससे इंगित होता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है (परिशिष्ट 1.1)।

1.9 सरकारी व्यय और निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

पश्च राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन ढांचे में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने राजकोषीय घाटे (तथा उधारियों) को न केवल निम्न स्तर पर बनाये रखे अपितु अपने पूंजीगत परिव्यय/निवेश (कर्ज तथा अग्रिमों सहित) की आवश्यकताओं को पूरा करे। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन स्वरूप, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिलाभ अर्जित करना चाहिए और अन्तर्निहित आर्थिक सहायताओं के रूप में बजट में उसे वहन करने की अपेक्षा उधार ली गई निधियों की लागत वसूल करने के उपाय प्रारंभ करने चाहिए और वित्तीय कार्यचालनों में पारदर्शिता लाने के लिये अपेक्षित उपाय करने चाहिये। इस भाग में सरकार द्वारा विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए निवेशों और अन्य पूंजीगत परिव्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1.9.1 अपूर्ण परियोजनाएं

राज्य सरकार के वर्ष 2008-12 के वित्तीय लेखों में हमने देखा है कि राज्य सरकार से अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में जानकारी वित्त लेखों में सम्मिलित करने हेतु प्राप्त नहीं हुई थी। यद्यपि हमारे द्वारा जल संसाधन तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभागों से एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर, कुछ अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति, जिनकी लागत 31 मार्च 2012 को ₹ एक करोड़ से अधिक थी, तालिका 1.16 में दी गयी है।

तालिका 1.16: 31 मार्च 2012 को अपूर्ण परियोजनाओं¹¹ की स्थिति

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारंभिक लागत	बजटीय लागत	परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	(₹ करोड़ में)	
					लागत में वृद्धि	संचयी वास्तविक व्यय (मार्च 2012)
जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश	21		220.87 (21 परियोजनाएं)	770.18 (16 परियोजनाएं)	598.25 (15 परियोजनाएं)	614.88 (21 परियोजनाएं)
नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	7		4,995.88	13,787.67	8,791.79	8,513.80
योग	28		5,216.75	14,557.85	9,390.04	9,128.68

(स्रोत: महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) MOPRO, भोपाल द्वारा प्रेषित जानकारी)

तालिका 1.16 से प्रकट होता है कि इन 28 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 9,128.68 करोड़ का व्यय अलाभकारी रहा। पुनः 28 अपूर्ण परियोजनाओं में से 23¹² परियोजनाओं (16 जल संसाधन विभाग तथा सात नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण) की प्रारंभिक बजटीय लागत सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 9,390.04 करोड़ की लागत वृद्धि हुई (परिशिष्ट 1.10 भाग क से ग)।

लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि, जल संसाधन विभाग के पाँच परियोजनाओं¹³ के अपूर्ण होने का कारण मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण अधिकारी को भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का विलंब से प्रस्तुत किया जाना, शेष कार्य के अधिनिर्णय में विलंब, रेखाचित्र एवं रूपरेखा

¹¹ अपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित जानकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदाय नहीं किये गये हैं।

¹² कुंडी टैंक परियोजना में, चूंकि सरकार द्वारा प्रारंभिक बजट संशोधित कर दिया गया था अतः लागत सीमा से अधिक नहीं थी।

¹³ बिरई टैंक, कुशलपुरा टैंक, संजय सागर आर.डी. (XI), सगढ़ आर.डी. (XVII), रेहती, गंज बसोदा

के अनुमोदन में विलंब, नहर कार्य के अधिनिर्णय में विलंब, आदि था। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सात परियोजनाओं में विलंब मुख्य रूप से ठेकेदार द्वारा कार्य के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति के कारण था। सिंचाई क्षमता निर्माण में देशी से किसानों को सिंचाई के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

प्रकरण को सरकार (नवम्बर 2012) को प्रेषित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2012)।

1.9.2 निवेश तथा प्रतिलाभ

सरकार ने 31 मार्च 2012 तक सांविधिक निगमों (24), सरकारी कम्पनियों (34), अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों और साझेदारीयाँ (23), बैंक (एक) एवं सहकारी बैंकों, समितियाँ (127) इत्यादि में ₹ 13,183.59 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.17)। 2009-12 की अवधि के दौरान इन निवेशों पर औसत प्रतिलाभ 0.33 प्रतिशत था जबकि सरकार ने इसी अवधि के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर (6.91 प्रतिशत) पर भुगतान किया।

तालिका 1.17: निवेशों पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	(₹ करोड़ में)				
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अन्त में निवेश (₹ करोड़ में)	8,844.99	9,643.35	11,686.28	12,216.04	13,183.59
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	59.23	69.05	49.75	32.20	37.98
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.67	0.72	0.43	0.26	0.29
सरकार द्वारा लिये गये उधार पर औसत ब्याज का दर (प्रतिशत)	7.72	7.24	6.94	7.04	6.74
ब्याज दर तथा प्रतिलाभ के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	7.05	6.52	6.51	6.78	6.45

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- मार्च 2012 के अन्त तक ₹ 13,183.59 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 1,076.04 करोड़ संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित थे और उनका बँटवारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य लंबित था {सांविधिक निगम (₹ 411 करोड़), सरकारी कम्पनियाँ (₹ 180.49 करोड़), सहकारी बैंक और समितियाँ (₹ 483.01 करोड़) और संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ एवं साझेदारीयाँ (₹ 1.54 करोड़)}।
- इन निवेशों पर 2011-12 में प्रतिलाभ 0.29 प्रतिशत था, जबकि सरकार ने 2011-12 के दौरान अपनी उधारियों पर 6.74 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज का भुगतान किया। इस प्रकार सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ उधारियों की लागत की तुलना में बहुत कम था।
- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखों को 2011-12 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिये उनका कुल निवेश ₹ 11,495.42 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 15,931.72 करोड़ तक हो गया था (परिशिष्ट 1.8)।

1.9.3 राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम

सहकारी समितियाँ, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को कर्ज तथा अग्रिम भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका 1.18, 31 मार्च 2012 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों, विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज अदायगियों की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.18 : सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

कर्ज की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	
			बजट अनुमान	वास्तविक
प्रारम्भिक शेष	7,630	11,424	—	15,105
वर्ष के दौरान दी गई राशि	3,817	3,715	3,200	15,760
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	23	34	74	9,123
अन्त शेष	11,424	15,105	—	21,742
उनके बकाया शेष जिनकी निबन्धन एवं शर्तें सुलझा ली गई है	—	—	—	—
निवल संयोजन	3,794	3,681	3,126	6,637
ब्याज प्राप्तियाँ	1,102	21	167	1,200
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता में ब्याज प्राप्तियाँ	11.57	0.16	---	6.51
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रतिशतता में ब्याज अदायगियाँ	6.94	7.04	---	6.74
ब्याज अदायगियों तथा ब्याज प्राप्तियों के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	-4.63	6.88	---	0.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे तथा 2011-12 के बजट अनुमान)

- 31 मार्च 2012 को कुल बकाया कर्ज तथा अग्रिम ₹ 21,742 करोड़ था। इन कर्जों से प्राप्त ब्याज ₹ 1,200 करोड़ था। कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली की तुलना में विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को दिए गए कर्ज अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप बकाया कर्जों तथा अग्रिमों में वृद्धि हुई।
- यह देखा गया है कि 31 मार्च 2012 को बकाया कर्ज तथा अग्रिमों (₹ 17,360 करोड़) का 80 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल और उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से संबंधित था और दूसरा 10 प्रतिशत जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (₹ 2,157 करोड़), पाँच प्रतिशत विविध सामान्य सेवाओं (₹ 1,034 करोड़) के अंतर्गत और तीन प्रतिशत कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों (₹ 719 करोड़) से वसूल किया जाना था।
- कर्ज तथा अग्रिमों पर सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान 6.51 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज की तुलना में 6.74 प्रतिशत की दर से उधारियों पर औसत ब्याज पर किया गया भुगतान अधिक था।
- कर्ज तथा अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत पारेषण एवं वितरण कम्पनियों को दिए गए कर्ज में थी।
- वर्ष के दौरान ₹ 9,123 करोड़ के कर्ज तथा अग्रिमों की वसूली, बजट अनुमानों के ₹ 74 करोड़ से महत्वपूर्ण रूप से अधिक थी जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं उसकी उत्तराधिकारी कम्पनियों से अधिक वसूली किये जाने के कारण थी। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूलियों में ₹ 9,089

करोड़ की वृद्धि, मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं को दिए गए कर्ज के कारण थी।

- 2011-12 में प्राप्त ब्याज (₹ 1,200 करोड़), 2010-11 के बजट अनुमानों (₹ 167 करोड़) एवं वास्तविक आंकड़ों (₹ 21 करोड़) की तुलना में अधिक था जो कि, मुख्य रूप से विद्युत परियोजना से अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण था।

1.9.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.19 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं रोकड़ शेषों का चित्रण करती है:


तालिका 1.19 : रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

विवरण	(₹ करोड़ में)		
	1 अप्रैल 2011 को	31 मार्च 2012 को	वृद्धि(+)/ कमी (-)
रोकड़ शेष	6,900.44	7,775.88	(+)875.44
रोकड़ शेषों से निवेश (क से घ)	9,212.17	6,680.13	(-)2,532.04
क. भारत सरकार के खजाना बिल	9,208.64	6,676.60	(-)2,532.04
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियां	3.53	3.53	--
ग. अन्य प्रतिभूतियां	--	--	--
घ. अन्य निवेश	--	--	--
उद्दिष्ट शेषों से निवेशों का निधि के अनुसार विवरण (क से च)	379.06	397.30	(+)18.24
क. अकाल राहत निधि	0.91	0.51	(-)0.40
ख. राजस्व आरक्षित निधि	8.74	8.74	--
ग. राज्य कृषि संबंधी साख राहत और गारंटी निधि	0.17	0.17	--
घ. गारंटी मोचन निधि	369.23	387.87	(+)18.64
च. अन्य निधि	0.01	0.01	--
वसूल किया गया ब्याज	263.41	355.30	(+)91.89

(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- सरकार के रोकड़ शेषों में विगत वर्ष में ₹ 6,900 करोड़ के स्तर से, वर्ष 2011-12 के अंत में ₹ 875 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- यह देखा गया है कि, वर्ष के दौरान ₹ 6,677 करोड़ भारत सरकार के खजाना बिलों में निवेश किये गये जिससे ₹ 355 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। बड़े रोकड़ शेषों को रखना सलाह देने योग्य नहीं है क्योंकि इनको उच्च मूल्य पर उधार लिया जाता है और कम ब्याज वाले खजाना बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।
- 2011-12 के दौरान, उद्दिष्ट शेषों से निवेश में ₹ 19 करोड़ तक की वृद्धि, मुख्य रूप से गारंटी मोचन निधि के अंतर्गत थी।

चार्ट 1.11, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान मासिक औसत दैनिक रोकड़ शेषों की प्रवृत्तियां प्रस्तुत करता है।



(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्य प्रदेश द्वारा प्रेषित जानकारी)

- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 1.96 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष रखना होता है। यदि यह शेष राशि करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी भी दिन कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्षण लेकर की जाती है। वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान राज्य द्वारा, अर्थोपाय अग्रिम (साधारण/विशेष) नहीं लिए गए थे।

1.10 परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

1.10.1 परिसम्पत्तियों तथा देयताओं की वृद्धि तथा संरचना


विद्यमान सरकारी लेखाकरण पद्धति में सरकार की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। फिर भी सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं।

परिशिष्ट 1.5 भाग-ख में 31 मार्च 2011 को तदनु रूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2012 को ऐसी देयताओं और परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। यद्यपि इस परिशिष्ट में दी गई देयताओं में मुख्य रूप से आन्तरिक उधारियां, भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां समाविष्ट हैं, परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और सरकार द्वारा दिये गये कर्ज तथा अग्रिम एवं रोकड़ शेष समाविष्ट है।


राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम 2005 में " कुल देयताओं " का वर्णन राज्य की समेकित निधि तथा लोक लेखे के अधीन देयताओं के रूप में किया गया है तथा इसमें राज्य सरकार के जोखिम भारित गारंटी दायित्व सम्मिलित हैं जिनके मूलधन और/अथवा ब्याज की पूर्ति राज्य बजट से की जाती है।

1.10.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्ति **परिशिष्ट 1.4** में दी गई है। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय देयताओं की संरचना को **चार्ट 1.12** एवं **1.13** में प्रस्तुत किया गया है।



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

- 2007-08 में राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताओं में ₹ 55,311 करोड़ से 2011-12 में ₹ 81,757 करोड़ तक की वृद्धि हुई। 2010-11 में वृद्धि दर में 11.28 प्रतिशत के विरुद्ध 2011-12 में 8.28 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान उधारियों में वृद्धि, मुख्य रूप से बाजार कर्ज (₹ 100 करोड़) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) (₹ 880 करोड़) से कर्ज के अंतर्गत हुई, जिसे मुख्य रूप से राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 1,597 करोड़) के अंतर्गत कमी के द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया।
- राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं और लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। 31 मार्च 2012 को समेकित निधि देयताओं (₹ 61,370 करोड़) में बाजार कर्ज (₹ 28,044 करोड़), राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 16,081 करोड़) प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्रों का निर्गमन (₹ 1,773 करोड़), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज (₹ 3,516 करोड़), भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम (₹ 11,359 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹ 597 करोड़) सम्मिलित हैं। लोक लेखा देयताओं (₹ 20,387 करोड़) में अल्प बचतें, भविष्य निधियां इत्यादि (₹ 9,916 करोड़), ब्याज प्रभार वाले दायित्व (₹ 295 करोड़) एवं ब्याज प्रभार रहित दायित्व और अन्य उद्दिष्ट निधियां (₹ 10,176 करोड़) सम्मिलित हैं।
- ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 25.92 प्रतिशत थी जो 2011-12 के अन्त में राजस्व प्राप्तियों की 1.3 गुना और राज्य के अपने संसाधनों की 2.37 गुनी थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विषय में इन देयताओं की उत्प्लावकता में, 2010-11 में 0.79 से वर्ष के दौरान 0.39 तक की कमी आई जो कि मुख्य रूप से इन देयताओं की वृद्धि दर में कमी तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद की दर में वृद्धि के कारण थी।
- चूंकि राज्य सरकार के पास राजस्व आधिक्य है, अतः बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि इत्यादि के कारण देयताओं सहित समस्त ऋणों के परिशोधन के लिए एक निक्षेप-निधि बनाया जाना उचित होगा। सरकार का दृष्टिकोण था कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त कर्जों के परिशोधन हेतु प्रावधान जहाँ ऐसी परिशोधन व्यवस्था के वित्त पोषण करने के लिए पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हो, केवल राजस्व से करनी चाहिए।

1.10.3 गारंटियों की स्थिति- आकस्मिक देयताएं

गारंटियाँ राज्य की संचित निधि पर प्रभारित वह आकस्मिक देयताएं हैं जो उस उधारगृहिता के द्वारा जिसके लिये गारंटी दी गई है चूक होने की स्थिति में होती है।

राज्य द्वारा दी गई गारंटियों के लिए अधिकतम राशियाँ और 2011-12 को समाप्त अंतिम तीन वर्षों के लिए बकाया गारंटियों की राशि तालिका 1.20 में दी गई है।

तालिका 1.20 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2009-10	2010-11	2011-12	
			बजट अनुमान	वास्तविक
गारंटी की अधिकतम राशि	11,823.20	8,438.50	9,480.18	11,107.51
गारंटियों की बकाया राशि	1,629.60	5,110.54	4,975.52	5,605.03
कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गारंटी की अधिकतम राशि का प्रतिशत	28.56	16.27	16.40	17.74
निम्नांकित राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार मानदण्डके विरुद्धवास्तविक आंकड़े (वार्षिक संवृद्धिगारंटियों की मात्रा सीमित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गारंटियां चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हों)	4.85*	12.35*	अनुपलब्ध	10.81*

* उस सीमा तक जिस सीमा तक वित्त लेखे में जानकारी उपलब्ध है।

(स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और विधानसभा में प्रस्तुत विवरण पत्र तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन अनुमान)

- गारंटियों की बकाया राशि आकस्मिक देयताओं की प्रकृति के है, जो कि 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की 8.95 प्रतिशत थी। राज्य सरकार द्वारा कतिपय देयताओं यथा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, फर्मों आदि द्वारा उद्भूत ऋणों के निर्वहन के लिए गारंटियां दी गई थी।
- 2010-11 में सरकार द्वारा दी गई गारंटी की अधिकतम राशि में ₹ 8,439 करोड़ से 2011-12 में ₹ 11,108 करोड़, (मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार, मध्य प्रदेश एवं छीसगढ़के मध्य अभी भी आवंटन हेतु लंबित ₹ 1,464 करोड़ सहित) की वृद्धि हुई जिसमें से वर्ष के अंत तक ₹ 5,605 करोड़ बकाया थे। वर्ष 2011-12 के दौरान कोई भी गारंटी नहीं दी गयी तथा गारंटी शुल्क के रूप में ₹ 0.44 करोड़ वसूल किए गये थे।
- वर्ष 2005-06 के दौरान, सरकार ने गारंटी मोचन निधि निर्मित की थी जिसमें 2011-12 के अन्त तक ₹ 387.87 करोड़ का अन्त शेष था। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 का खंड 9(2)(घ), वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटियों की सीमा निश्चित करने के लिये राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल गारंटियां वर्तमान वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों की 80 प्रतिशत से अधिक न हो सके। वार्षिक संवृद्धिकारक गारंटी, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के अंतर्गत थी।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के खंड 9(2)(ग) के अनुसार सरकार को 10 वर्षों के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2015 को उस वर्ष के लिए कुल देयताएं अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। यह देखा गया कि 27.70 प्रतिशत का यह अनुपात (गारंटियों की देयताओं सहित) वर्ष 2015 के लिए अधिनियम में निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर था। तेरहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि 2014-15 तक राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात की तुलना में, कुल ऋण अनुपात 25

प्रतिशत तक घटाना चाहिए। सरकार को ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को निर्धारित सीमा तक घटाने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। वर्ष के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल देयताओं का अनुपात क्रमशः 27.70 प्रतिशत और 139.55 प्रतिशत था जो क्रमशः 32.10 प्रतिशत एवं 147.80 प्रतिशत के तदनरूपी बजट अनुमान की अपेक्षा भी कम था।

1.11 ऋण धारणीयता

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त उन विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण धारणीयता¹⁴ का निर्धारण करते हैं। यह भाग ऋण स्थिरीकरण¹⁵; ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता¹⁶; उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता¹⁷; ब्याज अदायगियों का भार (राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज अदायगी के अनुपात द्वारा मापा गया) और सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार सरकार के ऋणों की धारणीयता का मूल्यांकन करता है। तालिका 1.21 में 2007-08 से प्रारम्भ, होने वाले पाँच वर्षों के लिए इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1.21: ऋण धारणीयता : संकेतक तथा प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा प्रसार + प्राथमिक घाटा)	2,740	3,764	2,117	8,333	10,390
ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	(-)29	(-)1,649	(-)1,766	927	(-)488
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता (कोष्ठकों में प्रतिशत)	(-)2,160 (-20)	791 (5)	3,131 (16)	2,606 (13)	955 (5)
ब्याज अदायगियों का भार (ब्याज अदायगियां/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	0.14	0.12	0.11	0.10	0.08

¹⁴ ऋण धारणीयता किसी समयावधि में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का एक स्थिर अनुपात बनाए रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित की जाती है तथा अपने ऋणों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपने सरोकार को मूर्त रूप देती है। अतएव ऋण की धारणीयता का उल्लेख चालू अथवा प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिये तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता एवं अतिरिक्त उधारी की लागत के साथ ऐसी उधारियों से प्रतिलाभ के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता के लिये भी किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ होना चाहिये।

¹⁵ ऋण स्थिरता के लिये एक आवश्यक शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर, लोक ऋणों की लागत अथवा ब्याज दर अथवा सार्वजनिक उधारियों की लागत की तुलना में अधिक होती है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण की संभावना होती है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा सकारात्मक हो अथवा संतुलित रूप से नकारात्मक हो। दर प्रसार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) तथा प्रमात्रा प्रसार (ऋण X दर प्रसार) मानते हुये, ऋण धारणीयता स्थिति अभिव्यक्त करती है यदि प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटा शून्य होता तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात एक स्थिर होगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर यदि प्राथमिक घाटा प्रमात्रा प्रसार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि हो रही होगी और यदि यह सकारात्मक है तो, ऋण - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अन्ततः गिर रहा होगा।

¹⁶ वृद्धि से संबंधित ब्याज देयताओं तथा वृद्धि से सम्बन्धित प्राथमिक व्यय की पूर्ति के लिये राज्य की वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता महत्वपूर्ण ढंग से सुविधाजनक हो सकती है यदि वृद्धि से सम्बन्धित ऋणोत्तर प्राप्ति वृद्धि से सम्बन्धित ब्याज भार तथा प्राथमिक व्यय की पूर्ति कर सकें।

¹⁷ कुल ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण परिशोधन (मूलधन + ब्याज अदायगियां) के अनुपात के रूप में परिभाषित है और वह मात्रा इंगित करती है जिस मात्रा तक उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता दर्शाते हुये ऋण प्राप्ति वृद्धि से ऋण परिशोधन के लिये प्रयुक्त की जाती हैं।

1.11.1 ऋण स्थिरीकरण

ऋण धारणीयता के संदर्भ में मुख्य शर्त है कि ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में स्थिरता रहे। यदि प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा नकारात्मक है, तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात अधिक होगा, जो इस तथ्य की ओर इंगित करता है कि लोक ऋणों का स्तर अस्थिर है और प्रमात्रा प्रसार एवं प्राथमिक घाटा सकारात्मक है तो ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात कम होगा जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि लोक ऋण का स्तर अब स्थिर है।

प्रमात्रा प्रसार के साथ प्राथमिक घाटे के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 2007-12 के दौरान उसकी राशि निरंतर सकारात्मक रही जो इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि ऋण स्थिर हो रहे थे।

1.11.2 ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता

ऋण धारणीयता का एक और सूचक संवृद्धिता ब्याज देयताओं तथा संवृद्धिता प्राथमिक व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य की संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता है। यदि संवृद्धि ब्याज देयता तथा संवृद्धि प्रारंभिक व्यय की पूर्ति संवृद्धि ऋणोत्तर प्राप्ति से होती है तो ऋण धारणीयता को सरल किया जा सकता है। सकारात्मक संसाधन अंतराल माध्यम से लम्बी अवधि में राज्य सरकार की ऋणों को रोकने की क्षमता को सुदृढ़ करता है जबकि नकारात्मक संसाधन अंतराल इसके विपरीत स्थिति का सूचक है।

2007-08 के दौरान, प्राथमिक व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिये संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्ति पर्याप्त थी, जिसमें वर्ष के दौरान तीव्रता से वृद्धि हुई थी परन्तु संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप सामान्य नकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हो गया। वर्ष 2010-11 के दौरान, ऋणोत्तर प्राप्ति ने प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकता को न केवल पूरा किया बल्कि संवृद्धिता ब्याज देयताओं को पूरा करने के बाद परिणामतः सकारात्मक संसाधन उत्पन्न हुआ जिससे राज्य की ऋण धारणीयता की क्षमता में वृद्धि हुई। 2008-10 और 2011-12 की अवधि के दौरान, संवृद्धिता ऋणोत्तर प्राप्ति, प्राथमिक व्यय की संवृद्धिता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान नकारात्मक संसाधन अंतराल उत्पन्न हुआ।

1.11.3 निधियों की निवल उपलब्धता

➤ ऋण परिशोधन अनुपात में 2007-12 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति को दर्शाया (परिशिष्ट 1.4) है। 2007-08 से 2009-10 के दौरान इसमें 1.20 से 0.84 तक की कमी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई और 2010-11 में 0.87 तथा 2011-12 में 0.95 की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 के दौरान, आंतरिक ऋण परिशोधन, नवीन ऋण प्राप्ति का 106 प्रतिशत था, केन्द्र सरकार से ऋणों का परिशोधन 126 प्रतिशत था जबकि अन्य दायित्वों के मामले में, पुनर्भुगतान नवीन प्राप्ति का 88 प्रतिशत था। इन प्रवृत्तियों से प्रकट हुआ कि ऋण प्राप्ति को मुख्यतः ऋण पुनर्भुगतान के लिये उपयोग किया गया था।

- वर्ष के दौरान आन्तरिक ऋण के अंतर्गत ₹ 5,718 करोड़ की प्राप्तियों में से, सरकार ने 8.92 प्रतिवर्ष की औसत ब्याज दर पर ₹ 4,000 करोड़ के बाजार ऋण लिये। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ₹ 1,250 करोड़ और राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों से ₹ 441 करोड़ का ऋण लिया। सरकार ने केन्द्र सरकार से ₹ 1,032 करोड़ उधार लिये। केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिमों की प्राप्ति में 2010-11 में ₹ 1,095 करोड़ से 2011-12 में ₹ 1,032 करोड़ तक की कमी आई जिसका मुख्य कारण 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत स्कीमों' के लिए कर्ज के अंतर्गत एक मुश्त कर्जों की प्राप्ति में कमी थी।
- आंतरिक ऋणों (₹ 6,087 करोड़), केन्द्र सरकार से कर्ज तथा अग्रिमों (₹ 1,297 करोड़) के पुनर्भुगतान में, ₹ 4,234 करोड़ (57 प्रतिशत) के ब्याज के भुगतान सम्मिलित थे जिससे मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए केवल ₹ 3,150 करोड़ (43 प्रतिशत) उपलब्ध थे। इससे यह इंगित होता है कि पुनर्भुगतान का एक बड़ा भाग ब्याज के भुगतान के लिए था। 31 मार्च 2012 को सरकार के 18 प्रतिशत विद्यमान बाजार ऋण, 10 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर वाले थे।

1.11.4 राज्य कर्ज की परिपक्वता रूपरेखा

तालिका 1.22 : 2010-11 एवं 2011-12 वर्षों के लिये राज्य कर्ज की परिपक्वता रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

वर्षों में	वित्त वर्ष 2010-11				वित्त वर्ष 2011-12			
	6003- आन्तरिक ऋण की राशि	6004-ऋण तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत	6003- आन्तरिक कर्ज की राशि	6004-ऋण तथा अग्रिमों की राशि	कुल राशि	कुल ऋणों से देय पुनर्भुगतान का प्रतिशत
0-1	1,442.43	530.65	1,973.08	3.42	1,851.66	536.77	2,388.43	3.89
1-3	4,005.97	1,099.20	5,105.17	8.84	5,013.71	1,108.28	6,121.99	9.98
3-5	5,338.83	1,144.06	6,482.89	11.22	4,901.40	1,146.62	6,048.02	9.85
5-7	5,794.05	1,162.60	6,956.65	12.04	8,159.39	1,164.56	9,323.95	15.19
7-9	11,436.29	1,157.49	12,593.78	21.80	11,510.14	1,164.40	12,674.54	20.65
9-11	5,645.04	1,154.22	6,799.26	11.77	5,789.14	1,164.18	6,953.32	11.33
11-13	1,745.05	1,151.08	2,896.13	5.01	1,789.14	848.46	2,637.60	4.30
13-15	1,708.59	375.31	2,083.90	3.61	1,675.56	231.08	1,906.64	3.11
15 वर्ष और इससे अधिक	4,009.71	261.96	4,271.67	7.39	3434.85	211.06	3,645.91	5.94
विविध।	5,687.68	2,919.25	8,606.93	14.90	5,886.02	3,783.50	9,669.52	15.76
योग	46,813.64	10,955.82	57,769.46		50,011.01	11,358.91	61,369.92	

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश से प्राप्त जानकारी)

* ऋणों की परिपक्वता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतीक्षित है।


ऊपर दर्शाए गए अनुसार राज्य ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि राज्य सरकार को अपने ऋणों का 20 प्रतिशत पुनर्भुगतान एक से पाँच वर्षों के दौरान, 47 प्रतिशत पाँच से 11 वर्षों के मध्य तथा 13 प्रतिशत 11 वर्षों और अधिक के पश्चात करना होगा। राज्य के ऋणों के लगभग 16 प्रतिशत के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी क्योंकि सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।

1.12 राजकोषीय असन्तुलन


तीन प्रमुख राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में सम्पूर्ण राजकोषीय असन्तुलन की मात्रा की ओर इंगित करते हैं। सरकार के लेखाओं में घाटे उसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य अन्तर प्रदर्शित करते हैं। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिस तरह से घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और संसाधनों का सृजन तथा उपयोग किया जाता है, वह इसके राजकोषीय लाभप्रदता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। इस भाग में प्रवृत्तियों, प्रकृति, प्रमात्रा और इन घाटों को वित्त पोषित करने की रीति तथा राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के मूल्यांकन की तुलना में वित्त वर्ष 2011-12 के लिये राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम/नियमों को प्रस्तुत किया गया है।

1.12.1 घाटे की प्रवृत्ति

चार्ट 1.14 एवं 1.15 2007-12 के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)



(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे और आर्थिक तथा सांख्यिकीय संचालनालय, मध्य प्रदेश सरकार)

- जैसा की राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित किया गया था कि मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को विलोपित करने के राजकोषीय लक्ष्य को राज्य ने वर्ष 2004-05 में प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात, राज्य ने राजस्व आधिक्य को बनाए रखा जिसमें 2007-08 में ₹ 5,088 करोड़ से 2011-12 में ₹ 9,910 करोड़ तक लगातार वृद्धि हुई 2008-09 को छोड़कर जब इसमें ₹ 4,063 करोड़ तक की कमी आई थी। राजस्व आधिक्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में 2010-11 में 2.63 प्रतिशत से 2011-12 में 3.14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमान के 1.45 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा, जो सरकार की कुल उधारियों और उसके कुल संसाधन अंतराल को प्रदर्शित करता है, उसमें 2007-08 में ₹ 2,784 करोड़ से 2009-10 में ₹ 6,199 करोड़ तक की वृद्धि हुई और 2011-12 में ₹ 5,760 करोड़ तक की कमी आई। राजकोषीय घाटा से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2010-11 में 2.02 प्रतिशत से 2011-12 में 1.83 प्रतिशत तक की कमी आई जो बजट अनुमान में निर्धारित सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत में निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर ही रही और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के भी भीतर थी।
- 2007-08 में ₹ 1,407 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष, 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान, प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गये।

1.12.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

राज्य सरकार को अपनी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिये ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है जो कि, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत परिव्यय कर्ज तथा अग्रिम सहित, का राजस्व प्राप्तियों एवं ऋणोत्तर पूंजी प्राप्तियों पर आधिक्य है। राजकोषीय घाटे

के विभिन्न घटकों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय एवं पूंजीगत परिव्यय का राजस्व प्राप्तियों एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों पर आधिक्यों को पूरा करने हेतु किस सीमा तक कर्ज लिया गया था।

राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था के प्रतिरूप में मिश्रित बदलाव आया है जैसा कि तालिका 1.23 में प्रतिबिम्बित हुआ है।

तालिका 1.23 : राजकोषीय घाटे के संघटक और उसकी वित्त व्यवस्था का प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का विघटन						
राजकोषीय घाटे		-2,784	-4,433	-6,199	-5,272	-5,760
1	राजस्व आधिक्य	5,088	4,063	5,498	6,842	9,910
2	निवल पूंजीगत परिव्यय	-6,822	-6,689	-7,903	-8,433	-9,032
3	निवल कर्ज तथा अग्रिम	-1,050	-1,807	-3,794	-3,681	-6,638
राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था पद्धति						
1	बाजार कर्ज	1,337	3,957	5,016	3,258	3,166
2	केन्द्र सरकार से ऋण	102	709	888	577	403
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी विशेष प्रतिभूतियां	128	-126	492	1,582	-167
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	128	51	-188	-488	198
5	आरक्षित निधियां	-34	12	324	275	1,191
6	अल्प बचते, भविष्य निधि आदि	193	204	412	773	698
7	जमा तथा अग्रिम	274	237	705	1,678	783
8	उचन्त तथा विविध	-18	-43	10	86	-28
9	प्रेषण	57	62	31	519	391
10	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/कमी (-)	-617	+630	+1,491	+2,988	+875

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा बाजार कर्जों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा परन्तु राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2010-11 में 62 प्रतिशत से 2011-12 में 55 प्रतिशत तक की कमी आई। 2010-11 की तुलना में 2011-12 में राष्ट्रीय अल्प बचत निधि कर्जों, जमा एवं अग्रिमों, अल्प बचतों इत्यादि का अंश राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में निम्नतर था। आरक्षित निधि के अंश में 2010-11 में ₹ 275 करोड़ (पाँच प्रतिशत) से 2011-12 में ₹ 1,191 करोड़ (21 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।

1.12.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात और प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे तथा पूंजीगत परिव्यय (कर्ज तथा अग्रिमों सहित) में विघटन, राज्य की वित्त व्यवस्था में घाटे की गुणवत्ता को इंगित करता है। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात यह इंगित करता है कि किस सीमा तक उधार ली गयी निधियाँ वर्तमान उपयोग हेतु प्रयुक्त की गयी थी। राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का सतत उच्च अनुपात भी यह इंगित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरन्तर संकुचित हो रहा था और उधारियों (राजकोषीय देयताओं) के एक भाग हेतु कोई परिसम्पत्तिगत अतिरिक्त सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.24) उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि के कारण घाटा

हुआ और राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता सुधारने के लिए वांछित हो सकता है।

तालिका 1.24: प्राथमिक घाटा/आधिक्य - घटकों का विभाजन

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत परिव्यय	कर्ज तथा अग्रिम*	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में ऋणोत्तर प्राप्तियां	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिव्यय
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2007-08	30,807	21,410	6,833	1,157	29,400	9,397	1,407	23.24
2008-09	33,656	25,322	6,713	1,862	33,897	8,334	-241	19.80
2009-10	41,443	31,443	7,925	3,820	43,188	10,000	-1,745	18.35
2010-11	52,257	39,963	8,800	3,717	52,480	12,294	-223	16.77
2011-12	71,753	47,394	9,055	15,764	72,213	24,359	-460	12.54

*अन्तर्राज्यीय परिशोधन सहित

(स्रोत : सम्बन्धित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

2007-12 की अवधि के दौरान घटकों के विभाजन के परिणामस्वरूप राज्य के प्राथमिक घाटे अथवा अधिशेष से प्रकट हुआ कि प्राथमिक घाटा राज्य सरकार द्वारा किए गए पूंजीगत परिव्यय और वितरित किए गए कर्ज तथा अग्रिमों के कारण था। दूसरे शब्दों में, राज्य की ऋणोत्तर प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये न केवल पर्याप्त थी अपितु पूंजीगत परिव्यय के सम्पूर्ण/आंशिक व्यय को पूरा करती थी। यद्यपि अधिशेष ऋणोत्तर प्राप्तियाँ, सभी वर्षों में पूंजीगत परिव्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी, किंतु सम्पूर्ण कर्ज तथा अग्रिमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप 2007-12 की अवधि में, 2007-08 को छोड़कर, प्राथमिक घाटा हुआ।

1.13 निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलनों का प्रबंधन एवं संसाधन संग्रहण

- राज्य ने वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व आधिक्य को लगातार बनाए रखा। राजस्व आधिक्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में 2010-11 में 2.63 प्रतिशत से 2011-12 में 3.14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमानों के 1.45 प्रतिशत से अधिक था।
- राजकोषीय घाटा से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2010-11 में 2.02 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 1.83 प्रतिशत तक की कमी आई तथा इस तरह बजट अनुमान में निर्धारित सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर ही रही।
- 2011-12 में राजस्व प्राप्तिओं से कुल व्यय का अनुपात में 81 प्रतिशत रहा। 2007-12 के दौरान राजकोषीय देयताओं से राजस्व प्राप्तिओं के अनुपात की

घटती हुई प्रवृत्ति से कुल व्यय के वित्तपोषण हेतु राजस्व प्राप्तियों पर बढ़ती हुई निर्भरता का संकेत तथा उधार ली गई निधियों पर कम निर्भरता प्रकट हुई।

- कर राजस्व व करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक वसूली तेरहवें वित्त आयोग (36.81 एवं 52.37 प्रतिशत) द्वारा किए गए निर्धारण तथा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक प्रक्षेपणों (16.68 एवं 24.74 प्रतिशत) की तुलना में उच्चतर थी।

देयताओं का प्रबन्धन

- कुल देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार इनमें 2014-15 के अंत तक 25 प्रतिशत की कमी लाना है। परिणामतः तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु देयताओं की वृद्धि में रोकथाम के लिए विवेकपूर्ण कर्ज प्रबन्धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
- लोक ऋण प्राप्तियों में नौ प्रतिशत की कमी राज्य के ऋण प्रबंधन में सुधार दर्शाता है। लोक ऋण प्राप्तियों में कमी, उधारियों में कमी के कारण थी। लोक ऋण के पुनर्भुगतान में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2011-12 में राज्य सरकार द्वारा बाजार कर्जों ने राजकोषीय घाटे के मुख्य अंश को वित्त पोषित करना जारी रखा परन्तु राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में इसके अंश में 2010-11 में 62 प्रतिशत से 2011-12 में 55 प्रतिशत तक की कमी आई।

निधियों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2011-12 के दौरान, आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज नये कर्ज प्राप्तियों का 95 प्रतिशत था जिससे परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बहुत कम निधियां उपलब्ध थी।

व्यय प्रबन्धन

- राज्य के व्यय प्रतिरूप (पैटर्न) से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2011-12 के दौरान कुल व्यय के 68 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात का अंशदान जारी रहा। राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत (योजनेत्तर: 14 प्रतिशत तथा योजनागत: 24 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जबकि पूंजीगत परिव्यय में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- 2011-12 में ₹ 36,677 करोड़ का वास्तविक योजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारित स्तर (36.06 प्रतिशत) से अधिक था लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में किए गए प्रक्षेपण (चार प्रतिशत) से कम था।

- 2007-12 की अवधि के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियों एवं राजसहायताओं पर समग्र व्यय में 101 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान यह व्यय योजनेत्तर राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत था।
- योजनागत एवं योजनेत्तर व्यय के संदर्भ में विगत वर्ष की तुलना में योजनागत व्यय में ₹ 3,592 करोड़ की वृद्धि तथा योजनेत्तर व्यय में ₹ 16,390 करोड़ तक की वृद्धि पंजीबद्ध की गई।
- मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को दी गयी प्राथमिकता, 2008-09 और 2011-12 दोनों में पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कुल व्यय से उनके अनुपात सामान्य संवर्ग के राज्यों के अनुपात की तुलना में कम थे। वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय के अंश में भी गिरावट पंजीबद्ध की गई। सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।
- यह देखा गया कि विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय से कुल व्यय के अनुपात में कमी आई।
- तृतीय राज्य वित्त आयोग की तुलना में राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को क्रमशः ₹ 49.55 करोड़ तथा ₹ 195.28 करोड़ कम विमोचित किये।

अपूर्ण परियोजनायें

- 28 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 9,128.68 करोड़ (मार्च 2012) का व्यय अलाभकारी रहा तथा इनमें से 23 परियोजनाएं सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 9,390.04 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

निवेश पर प्रतिलाभ

- मार्च 2012 के अन्त तक ₹ 13,184 करोड़ के कुल निवेश सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों, आदि पर प्रतिलाभ (₹ 37.98 करोड़) लगभग 0.29 प्रतिशत था जो कि 2011-12 के दौरान 6.74 प्रतिशत की औसत दर पर उधारी के विरुद्ध था।
- छब्बीस सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों, जिनके लेखों को 31 मार्च 2012 तक अंतिम रूप दिया जा चुका था, अद्यतन वर्ष के लिये उनका कुल निवेश ₹ 11,495.42 करोड़ था घाटे में चल रही थी जिनका कुल संचित घाटा ₹ 15,931.72 करोड़ तक हो गया था।

भारत सरकार से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियाँ

- केन्द्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये 2011-12 के दौरान प्रत्यक्ष रूप से राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹ 9,497.91 करोड़ अंतरित किए।

1.14 अनुशंसायें

- प्रवृत्तियाँ इंगित करती हैं कि सरकारी निवेशों पर प्रतिलाभ की नगण्य दरों सहित बढ़ती हुई राजकोषीय देयताएँ राज्य पर मध्यम से लंबी अवधि में राजकोषीय दबाव बना सकती हैं जब तक कि आगामी वर्षों में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य निवेश, योजनेत्तर राजस्व व्यय को कम करने और कर तथा करेतर दोनों राजस्व स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने सहित उपयुक्त उपाय प्रारम्भ नहीं किए जाते।
- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि सामान्य संवर्ग के राज्य, मध्य प्रदेश की तुलना में इन शीर्षों पर कुल व्यय के वृहत्तर समानुपात का व्यय कर रहे हैं।
- संघ द्वारा राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को निधियों के सीधे अंतरण से इन अभिकरणों द्वारा निधियों के उपयोग की तुच्छ चूक होने का जोखिम रहता है। जब तक कि इन समस्त अभिकरणों द्वारा एक समान लेखाकरण पद्धतियों का विवेकपूर्ण अनुपालन नहीं किया जाता तथा व्यय का उचित प्रलेखन नहीं किया जाता और समयोचित रिपोर्ट नहीं दी जाती, जब तक निधियों के इन सीधे अंतरणों के अंतिम उपयोग का अनुवीक्षण करना दुष्कर होगा।